पत्रांक– 1589 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दि0– 1/5/15

विषयः– **दिनांक–30.04.15 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा ओलावृष्टि, चक्रवातीय तूफान एवं भूकम्प से हुई क्षति के सापेक्ष राहत कार्यों की समीक्षा हेतु विडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान दिये गए दिशा–निदेशों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 30.04.2015 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा ओलावृष्टि, चक्रवातीय तूफान से हुई क्षति के सापेक्ष राहत कार्यों की समीक्षा हेतु विडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान निम्नांकित महत्वपूर्ण निदेश दिये गए हैं–

(i) ओलावृष्टि एवं चक्रवातीय तूफान से कृषकों को भारी क्षति हुई है। निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप उन किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी 10 दिनों के अंदर वितरित कर दी जाए, जिनकी फसल की क्षति हुई है।

(ii) पटना, नालन्दा एवं लखीसराय के टाल क्षेत्रों में मसूर की फसल की व्यापक क्षति हुई है। उसका भी सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण कराया जाए।

(iii) कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण हेतु दिये गए आवंटन का 75 प्रतिशत व्यय करने के उपरांत शेष आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजा जाए। ज्ञातव्य हो कि पूर्णतया नष्ट एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे–पक्के घरों तथा क्षतिग्रस्त झोपड़ियों के लिए ही मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जाना है। साथ ही सभी क्षतिग्रस्त घरों के लिए S.D.R.F. के मानदर के अनुसार गृहक्षति का भुगतान किया जाना है। फोटोग्राफी पर होनेवाला व्यय बाढ़ प्रवण जिलों में आबादी निष्क्रमण मद तथा आकस्मिक मद में दी गयी राशि से विकलनीय होगा तथा शेष जिलों में आवश्यकतानुसार विभाग से राशि आवंटित की जाएगी।

(iii) जैसा कि पूर्व में निदेशित है, ओलावृष्टि आदि से जिन किसानों की फसल क्षति हुई है, उनकी सूची जिलों के वेवसाइट पर प्रदर्शित करनी है। उसी प्रकार से गृहक्षति की भी फोटोयुक्त सूची जिलों के वेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) राहत वितरण पंचायत स्तरीय निगरानी समिति–सह–अनुश्रवण समिति के समक्ष कैम्पों में किया जाना है। किन्तु फसल क्षति/गृहक्षति/अन्य लाभुकों की सूची का अनुमोदन उक्त अथवा किसी अन्य समिति द्वारा नहीं कियां जाना है। यदि वेवसाइट पर प्रदर्शित सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त हो तो आपत्तियों की जॉच वरीय पदाधिकारियों की टीम से कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(v) जो भी राशि वितरित की जा रही है, उसका रेकॉर्ड सही ढंग से संधारित किया जाएगा एवं व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को बिना देर किए भेजा जाएगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा) दिनांक 2-05-2015

ज्ञापांक 165

प्रतिलिपि:- सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/अधिकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2.5.15

प्रभारी पदाधिकारी,
आपदा प्रबंधन शाखा,
मधेपुरा